

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मुरैना म0प्र0

फोन नं.07532-223500 ई-मेल Dmmorena@nic.in

कमांक/भू.अ./रेलवे/मु. वि./कब्जा/2020/4177
प्रति, 27-03-2021

मुरैना दिनांक 27/3/2021

अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी

अनुविभाग-मुरैना

विषय:- तीसरी रेल लाईन निर्माण परियोजना (मथुरा-झांसी के मध्य) अंतर्गत अवॉर्ड पारित उपरान्त मुआवजा वितरण एवं अधिग्रहित भूमि के कब्जा के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत तीसरी रेल लाईन निर्माण परियोजना (मथुरा-झांसी के मध्य) हेतु भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-23 के अंतर्गत अनुभाग मुरैना के ग्राम नूराबाद अतिरिक्त एवं पिपरई में पारित अधिनिर्णय (अवॉर्ड) दिनांक 27.3.21 को पारित किया जाकर मूल प्रकरण आपकी ओर भेजे गये है। उक्त परियोजनांतर्गत भू-अधिग्रहण की कार्यवाही की मॉनिटरिंग पी.एम.ओ. कार्यालय एवं मुख्य सचिव महोदय म.प्र. शासन द्वारा की जा रही है, जिसमें समय-सीमा निर्धारित है। उक्त प्रकरणों में अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

- 1- अधिनियम की धारा-38 के अंतर्गत कार्यवाही नियत समय में पूर्ण की जावे।
- 2- पारित अधिनिर्णय, गणना पत्रक पार्ट अ अनुसार प्रभावित व्यक्तियों के बैंक खाते, आई.एफ.सी. कोड नम्बर, बैंक पासबुक, आधार कार्ड की जानकारी सम्बंधित तहसीलदार से प्राप्त कर मुआवजा प्रभाजक सूची अनुविभागीय अधिकारी एवं नोडल अधिकारी मुआवजा वितरण अनुभाग मुरैना को निर्धारित समय-सीमा में भेजी जावे।
- 3- अधिग्रहित भूमि का कब्जा अर्जक निकाय को निर्धारित समय-सीमा में सौपा जाकर राजस्व अभिलेख में अमल की प्रति प्रदाय कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाये।
अतः अतिशीघ्र मुआवजा वितरण एवं अर्जक निकाय को अधिग्रहित भूमि का कब्जा सौंपकर कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

4177
प्रतिलिपि- 27-03-2021

संयुक्त कलेक्टर,
एवं प्रभारी अधिकारी
भू-अर्जन जिला मुरैना (म.प्र.)

- 1- आयुक्त महोदय, चम्बल सम्भाग मुरैना की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2- महाप्रबंधक उ.म.रेल इलाहाबाद की ओर सूचनार्थ।
- 3- अनुविभागीय एवं नोडल अधिकारी भू-अर्जन मुआवजा वितरण अनुभाग मुरैना की ओर पारित अवॉर्ड की प्रति संलग्न कर लेख है कि सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी से मुआवजा प्रभाजक सूची प्राप्त होने पर सात दिवस के अंदर मुआवजा वितरण करना सुनिश्चित करे एवं शासकीय पट्टेदार/भू-दान गृहिता के स्वत्व अभिलेख सत्यापन की जानकारी सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी से प्राप्त उपरान्त नियमानुसार मुआवजा भुगतान किया जावे।
- 4- उपमुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमि. गोले का मंदिर ग्वालियर की ओर पारित अवॉर्ड की प्रति भेजकर अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ (लाइजनिंग अधिकारी भू-अर्जन) को मुआवजा वितरण में सहयोग एवं अधिग्रहित भूमि के कब्जा हेतु भू-अर्जन लाइजनिंग अधिकारी रेलवे को निर्देशित करने का कष्ट करे।
- 5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. मुरैना की ओर पारित अधिनिर्णय की छायाप्रति भेजकर लेख है कि कलेक्टर जिला मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिक बेबसाइट पर अपलोड किया जावे।
- 6- तहसीलदार मुरैना, बामौर की ओर पारित अवॉर्ड की प्रति संलग्न कर लेख है कि अधिनियम की धारा-38 अनुसार नियत अवधि में प्रभावित व्यक्तियों के बैंक खातों आदि की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी (नोडल अधिकारी भू-अर्जन पी.डी. खाता) अनुविभाग मुरैना को तत्काल उपलब्ध करावे। साथ ही अधिग्रहित भूमि का कब्जा सम्बंधित विभाग को सौंपे एवं राजस्व अभिलेख में अमल करावे।

संयुक्त कलेक्टर,
एवं प्रभारी अधिकारी
भू-अर्जन जिला मुरैना (म.प्र.)



कार्यालय कलेक्टर एंव भू अर्जन अधिकारी जिला मुरैना

प्र0क0 08/20-21/अ 82

मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल
विकास निगम लि. झांसी
बनाम

हरिमोहन पुत्र हाकिमसिंह आदि एंव
ग्राम नूराबाद अनावेदक

(अधिनिर्णय (पारित दिनांक 27 मार्च 2021)

आवेदक मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लि. झांसी द्वारा (उत्तर मध्य रेल मथुरा झांसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) के अंतर्गत ग्राम नूराबाद की अशासकीय भूमि के आपातिक स्थाई अर्जन वावत् प्रस्ताव पत्र दिनांक 04/08/2020 से प्रस्तुत कर ग्राम नूराबाद की अधोलिखित भूमि अर्जित किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

क्र	सर्वे न.	रकबा
1	679/1	0.030
2	678	0.047
योग	कुल किता	0.077

8

1. मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लि के प्रस्ताव का परीक्षण किया गया।
2. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे आगे भू अर्जन अधिनियम 2013 कहा जायेगा) धारा 11 के तहत प्रारम्भिक प्रकाशन दिनांक 22.12.20 को जारी किया गया जो म.प्र. राजपत्र भाग 1 दिनांक 26.12.2020. मे प्रकाशित हुआ तथा दैनिक समाचार पत्र मध्यराज दिनांक 30.12.20 को प्रकाशित किया गया। कार्यालय उप तहसील बामौर में दिनांक 23.12.20 नगर परिषद मुरैना के सूचना पटल पर दिनांक 24.12.20 भू अर्जन अधिकारी मुरैना के सूचना पटल पर दिनांक 24.12.20 . मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लि झांसी के सूचना पटल पर दिनांक 23.12.20 को चरपा की गई नियत अवधि मे कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई।
- 3 भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) के तहत अधिसूचना कार्यालय कलेक्टर एंव भू अर्जन अधिकारी मुरैना के पत्र दिनांक 22.02.21 से जारी हुयी जो म.प्र. राजपत्र मे दिनांक 05.03.2021 को राजपत्र के प्रष्ठ कमांक 4550 पर प्रकाशित हुआ मध्यराज्य तथा मध्यजनदर्शन समाचार पत्र मे दिनांक 24.02.21 तथा 27.02.21 को प्रकाशित किया गया नगर परिषद मुरैना के सूचना पटल पर दिनांक 23.02.21 को तहसील बामौर के सूचना पटल पर दिनांक 23.02.21 को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी मुरैना 24.02.21 कलेक्टर



मुरैना 22.02.21 मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लि झांसी के सूचना पटल पर दिनांक 25.02.21 चरपा कर प्रकाशित की गई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

4. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21(1) के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को सार्वजनिक सूचना पत्र दिनांक 25.02.21 को जारी किया गया कलेक्टर मुरैना के पोर्टल पर सूचनार्थ दिनांक 25.02.21 को अपलोड किया गया जिसमे दिनांक 26.03.21 तक हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां प्रस्तुत करने को समय दिया गया। नगर परिषद मुरैना के सूचना पटल पर दिनांक 27.02.21 को तहसील बामौर के सूचना पटल पर दिनांक 27.02.21 को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी मुरैना 25.02.21 कलेक्टर मुरैना 27.02.21 मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लि झांसी के सूचना पटल पर दिनांक 01.03.21 चरपा कर प्रकाशित की गई।

5. भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21 (2) के तहत भूमि स्वामियों को व्यक्तिगत सूचना पत्र दिनांक 25.02.21 से जारी किये गये हितबद्ध पक्षकारों से दिनांक 26.03.21 तक दावे आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए आहूत किया गया नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

6. अधिनियम की धारा 26 के दिशा निर्देशों के तहत बाजार दर का निर्धारण किये जाने के लिए धारा 11 के प्रकाशन दिनांक 07.01.20 के पूर्ववर्ती 3 वर्षों के वास्तविक विक्रय पत्र एवं चालू गाइडलाइन के आधार पर बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया अतः गाईड लाइन वर्ष 2020-21 की दर उच्चतम होने से, अनुसार सिंचित भूमि की दर 36 लाख रुपये प्रति हे. से निर्धारित कर भूमि का मूल्य परिगणित) की गई। जिसके आधार पर मूल्यांकन पत्रक अ तैयार किया गया।

स. क्र	भूमिस्वामी का नाम	सर्वे नम्बर	अर्जित रकवा	कुल मुआवजा भूमि का बाजार मूल्य धारा 26 के अनुसार+तोषण + ब्याज+परिसम्पत्ति एवं उस पर तोषण
1	हरिमोहन पुत्र हाकिमसिंह जाति गू ठा पता निवासी ग्राम	679/1	0.030	219444 /
2	हरिमोहन पुत्र हाकिमसिंह जाति गू ठा पता निवासी ग्राम	678	0.047	343796 /
	कुल किता 02 व कुल अर्जित रकवा	0.077	0.077	563240 /

7. अधिग्रहित भूमि में परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन कर मूल्यांकन पत्रक ब तैयार कर संलग्न किया गया।

8. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 23 के तहत ग्राम चूराबाद की अर्जित की जा रही भूमि का कुल किता 02 व अर्जित रकवा 0.077 है0 एवं भूमि से संलग्न अस्तियों की मुआवजा राशि निम्नानुसार परिगणित होती है। जो की अधिनिर्णय पारित करने हेतु प्रस्तुत हैं।

8.1 अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्यांकन (परिगणित) राशि

(अ). (i) पी एम जी एस वाय रोड से हटकर नगर पंचायत सीमा के बाहर सिंचित भूमि प्रति हेक्टर की दर 36 लाख रु. प्रति हेक्टर की दर से मूल्यांकित राशि(0.077 है.)

(ब). भू अर्जन अधिनियम की धारा 30 (3) के तहत संगणित राशि (ब्याज) (धारा 11 के अंतिम प्रकाशन दिनांक 07.12.20 से दिनांक 27.03.21.

277200/-

तक 97. दिवस के लिए) का 12 प्रतिशतके मान से भूमि के मूल्य पर

8840/-

(स). धारा 30 (1) के तहत 100 प्रतिशत तोषण (सोलेशियम राशि)
भूमि के मूल्य के समतुल्य

277200/-

8.3 योग (अ ब स)

563240/-

8.4 भूमि में सम्मिलित अस्तियों /परिसम्पत्तियों का मूल्य :-संबंधित विभाग द्वारा आंकलित मूल्य अनुसार

सम्पत्ति का प्रकार	संख्या	मूल्यांकन
टीनशेड		निरंक
नलकूप		
योग		

8.5 भूमि में सम्मिलित अस्तियों/परिसम्पत्तियों की कुल परिगणित राशि

/-

8.6 भूमि में सम्मिलित अस्तियों/परिसम्पत्तियों
की कुल राशि के समतुल्य तोषण/ सोलेशियम राशि

/-

8.7 कुल योग बिन्दु कमांक (8.5) व (8.6)
परिसम्पत्तियों का मूल्य एवं तोषण सहित कुल राशि

/-

8.8 कुल मुआवजा राशि(8.38.7)

563240/-

8.9 कुल मुआवजा राशि पर प्रशासनिक शुल्क 2.5 प्रतिशत

14081/-

कुल अवार्ड राशि(8.8 8.9)

577321/-

कुल अवार्ड राशि शब्दों में (पांच लाख सत्तर हजार तीन सौ इक्कीस रूपये)

नोट:- व्यक्तिगत भूमि स्वामियों के अधिनिर्णय राशि से संबंधित पत्रक अ एवं ब प्रथक से संलग्न है। जो अधिनिर्णय का भाग है।

अनुविभागीय एवं भू अर्जन आधिकारी
अनुविभाग जिला मुरैना

कलेक्टर
जिला मुरैना

Note - उत्तर पृष्ठ ग्राम नूराबाद तीसरी रेलवे लाईन
का अवार्ड पत्रक है।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं मू अर्जन अधिकारी राजस्व अनुविभाग जिला मुरैना

परिशिष्ट अ - भूमि का मूल्यांकन पत्रक

मू अर्जन जानकारी राजस्व वृत्त- पटवारी हल्का- ग्राम नूराबाद, गढ़सील बामौर जिला मुरैना

क	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम जाति एवं निवास स्थान	सर्वे नं	कुल अर्जित रकम हेक्टर	भूमि का अर्जित रकम है		भूमि का बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत 2020-21 प्रति हे. भाग 28 (1) के अनुसार	अर्जित भूमि का बाजार मूल्य भाग 28 के अनुसार	संचयित रकम दर 12 प्रतिशत भाग 30 (3) 97 दिवस हि. 07/12/20 से 27/03/21 तक) भूमि के मूल्य पर	वैधता भाग 30(4) अनुसार 100 प्रतिशत भूमि के मूल्य के समतुल्य	योग 8+9+10	12	13	14	15	16
				सिद्धि	असिद्धि										
1	हरिमोहन पुत्र हाकिमसिंह जाति गू टा पता निवासी ग्राम	679/1	0.03	सिद्धि	निक	3600000	108000	3444	108000	219444	0	0	0	0	219444
2	हरिमोहन पुत्र हाकिमसिंह जाति गू टा पता निवासी ग्राम	678	0.047	सिद्धि	निक	3600000	169200	5396	169200	343796	0	0	0	0	343796
	योग		0.077				277200	8840	277200	563240	0	0	0	0	563240

कुल योग	प्रशासनिक शुल्क 2.5 प्रतिशत	कुल अर्वाइ राशि

(भवानी शर्मा-प्रधान)
कार्यालय-22
सबो व जिला मुरैना (सबो)

परिशिष्ट अ-1
राजस्व विभागाध्यक्ष
राजस्व विभागाध्यक्ष
गढ़सील जिला मुरैना

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व विभाग
गढ़सील जिला मुरैना

अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व विभाग
गढ़सील जिला मुरैना

कलेक्टर
जिला मुरैना

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं मू अर्जन अधिकारी राजस्व अनुविभाग जिला मुरैना

परिशिष्ट (ब)

मू अर्जन जानकारी राजस्व वृत्त-..... पटवारी इल्का-..... ग्राम नूरबाद राहशील बामौर जिला मुरैना

परिशिष्ट (ब) परिसंपत्तियों का मूल्यांकन पत्रक

अनु क0	भूमिस्वामी का नाम व पता	सर्वे क.	भूमि का अर्जित रकबा हेक्टेयर में	वक्षो/फलदार पेड़ों का मूल्यांकन		मूल्यांकन	पक्का कुआं/बोरवेल का मूल्यांकन	पक्का कुआं/बोरवेल का मूल्यांकन	बोरवेल/नलकूप/टयूबवेल	मूल्यांकन	पक्का का मूल्यांकन	पक्का निर्माण/मकान	मूल्यांकन	कुल मूल्यांकन राशि
				फल	अफलदार									
1	हरिमोहन पुत्र हाकिमसिंह जाति गूठा पता निवासी ग्राम	3	0.030	5	6	7	8	9	10	11	12	13	07+10+12 1/2 JXF.KR 1/2	
2	हरिमोहन पुत्र हाकिमसिंह जाति गूठा पता निवासी ग्राम	678	0.047		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
			0.077										निरंक	

अनुविभागीय एवं मू अर्जन अधिकारी
जिला मुरैना

कलेक्टर
जिला मुरैना

परिसंपत्तियों का मूल्यांकन
खण्ड-22
लखनऊ जिला मुरैना (मुरैना)

जिला मुरैना

जिला मुरैना

कार्यालय कलेक्टर एवं भू अर्जन अधिकारी जिला मुरैना

प्र0क0 08/20-21/अ 82

मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास
निगम लि. झांसी बनाम

रामसेवक, रामनखन, पुत्रगण विन्दावन
आदि ग्राम पिपरई, अनावेदक

(अधिनिर्णय (पारित दिनांक 27 मार्च 2021)

आवेदक मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लि. झांसी द्वारा (उत्तर मध्य रेल मथुरा झांसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण) के अंतर्गत ग्राम पिपरई की अशासकीय भूमि के आपातिक स्थाई अर्जन वावत् प्रस्ताव पत्र दिनांक 08/10/2020 से प्रस्तुत कर ग्राम पिपरई की अधोलिखित भूमि अर्जित किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

क्र	सर्वे न.	रकवा
1	764	0-220
2	848	0-270
3	870	0-120
4	1018	0-010
5	1021	0-020
6	1022	0-050
योग	कुल किता 06	0-690

8

1. मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लि के प्रस्ताव का परीक्षण किया गया।

2. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे आगे भू अर्जन अधिनियम 2013 कहा जायेगा) धारा 11 के तहत प्रारम्भिक प्रकाशन दिनांक 22.12.20 को जारी किया गया जो म.प्र. राजपत्र भाग 1 मे प्रकाशित हुआ तथा दैनिक समाचार पत्र मध्यराज्य में दिनांक 22.12.20 में तथा उदयदेश में दिनांक 23.12.2020 में प्रकाशित किया गया कार्यालय उप तहसील बामौर में दिनांक 24.12.2020 नगर परिषद मुरैना के सूचना पटल पर दिनांक 25.12.19 भू अर्जन अधिकारी मुरैना के सूचना पटल पर दिनांक 24.12.2020 मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लि झांसी के सूचना पटल पर दिनांक 26.12.2020 को चस्पा की गई नियत अवधि मे कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई।

3. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) के तहत अधिसूचना कार्यालय कलेक्टर एवं भू अर्जन अधिकारी मुरैना के पत्र दिनांक 06.02.21 से जारी हुयी जो म.प्र. राजपत्र मे दिनांक 23.02.21 को राजपत्र के पर प्रकाशित हुआ हिन्दू समाचार पत्र मे दिनांक 23.02.21 को प्रकाशित किया गया नगर परिषद मुरैना के सूचना पटल पर

दिनांक 20.02.21 को तहसील बामौर के सूचना पटल पर दिनांक 25.02.21 को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी मुरैना 24.02.21 कलेक्टर मुरैना 24.02.21 मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लि झांसी के सूचना पटल पर दिनांक 26.02.21 चस्पा कर प्रकाशित की गई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

4. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21(1) के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को सार्वजनिक सूचना पत्र दिनांक 24.02.21 को जारी किया गया कलेक्टर मुरैना के पोर्टल पर सूचनार्थ दिनांक 24.02.21 को अपलोड किया गया जिसमें दिनांक 25.03.21 तक हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां प्रस्तुत करने को समय दिया गया। नगर परिषद मुरैना के सूचना पटल पर दिनांक 25.02.21 को तहसील बामौर के सूचना पटल पर दिनांक 25.02.21 को कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी मुरैना 25.02.21 कलेक्टर मुरैना 25.02.21 मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लि झांसी के सूचना पटल पर दिनांक 28.02.21 चस्पा कर प्रकाशित की गई।

5. भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21 (2) के तहत भूमि स्वामियों को व्यक्तिगत सूचना पत्र दिनांक 24/02/21 से जारी किये गये हितबद्ध पक्षकारों से दिनांक 25.02.21 तक दावे आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए आहूत किया गया नियत अवधि में अशोक, दिनेश चन्द्र पुत्र बंदी प्रसाद बगौरा के द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की गई की सर्वे क्रमांक 1018 में उनकी जाति गुर्जर अकिंत की गई है जबकि उनकी जाति ब्रा. है। साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा खसरा की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है। आपत्तिकर्ता की आपत्ति स्वीकार कर अवार्ड में उनकी जाति ब्रा. अकिंत की जाति है। उक्त संशोधन से अवार्ड राशि एवं रकवे में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

6. अधिनियम की धारा 26 के दिशा निर्देशों के तहत बाजार दर का निर्धारण किये जाने के लिए धारा 11 के प्रकाशन दिनांक 22.12.20 के पूर्ववर्ती 3 वर्षों के वास्तविक विक्रय पत्र एवं चालू गाइडलाइन के आधार पर बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया अतः गाइड लाइन वर्ष 2021-21 की दर उच्चतम होने से, अनुसार सिंचित भूमि की दर 24.00 लाख रुपये प्रति हे. से निर्धारित कर भूमि का मूल्य परिगणित) की गई। जिसके आधार पर मूल्यांकन पत्रक अ तैयार किया गया।

स. क	भूमिस्वामी का नाम	सर्वे नम्बर	अर्जित रकवा	कुल मुआवजा भूमि का बाजार मूल्य धारा 26 के अनुसार+तोषण + ब्याज+परिसम्पत्ति एवं उस पर तोषण
1	रामसेवक रामलखन पुत्र विन्द्रावन संदीप नावा पुत्र विन्द्रावन रामवीर भरतसिंह पुत्रगण सोनेराम जाति गू ठा पता पिपरई मुरैना मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमिस्वामी विन्द्रावन रामवीर भरत पुत्र सोनेराम नेतराम पुत्रगण सोनेराम जाति गूठा पता पिपरई मुरैना मध्य प्रदेश 2/3 भाग भूमिस्वामी।	764	0-220	1072838 ✓
2	मु रामदेही वेवा सोनेराम विन्द्रावन विजय सिंह भरत नेतराम रामवीर पुत्र सोनेराम	848	0-270	1316665 ✓

नीचरी रेलवे इवॉर्ड पत्रक ग्राम पिपरई

	यशोदा रामरती लाली फूलवती पुत्री सोनेराम जाति गुर्जर।			
3	औतारसिंह केदारसिंह पुत्रगण जण्डेलसिंह संतोषीसिंह देवीसिंह पुत्रगण बदनसिंह जाति गूढा पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी।	870	0-120	585184 ✓
4	अशोक दिनेशचन्द्र पुत्रगण बद्रीप्रसाद हि बरा 1/4 जाति ब्रा नि सरायछोला वासदेवप्रसाद जगदीश प्रसाद विन्द्रावनलाल पुत्रगण भीखाराम हि बरा 3/4 जाति ब्रा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।	1018	0-010	48765 ✓
5	ओमवती पत्नी साहब सिंह जाति गुजर ठाकुर	1021	0-020	97531 ✓
6	ओमवती पत्नी साहब सिंह जाति गुजर ठाकुर	1022	0-050	243827 ✓
	कुल किता 06 व कुल अर्जित रकवा 0.690		0-690	3364811 ✓

7. अधिग्रहित भूमि में परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन कर मूल्यांकन पत्रक ब तैयार कर संलग्न किया गया।

8. भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 23 के तहत ग्राम पिपरई की अर्जित की जा रही भूमि का कुल किता 06 व अर्जित रकवा 0.690 है0 एंव भूमि से संलग्न अस्तियों की मुंआवजा राशि निम्नानुसार परिगणित होती है। जो की अधिनिर्णय पारित करने हेतु प्रस्तुत हैं।

8.1 अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्यांकन (परिगणित) राशि

(अ). (प) पी एम जी एस वाय रोड से हटकर

सिंचित भूमि (0.690) हैक्टर की दर प्रति हेक्टर 24.00 लाख रु की दर से मूल्यांकित राशि

1656000 /- ✓

(ब). भू अर्जन अधिनियम की धारा 30 (3) के तहत संगणित राशि (ब्याज)

(धारा 11 के अंतिम प्रकाशन दिनांक 22.12.20 से दिनांक 27.03.21 तक 97 दिवस के लिए) का 12 प्रतिशतके मान से भूमि के मूल्य पर

52811 /- ✓

(स). धारा 30 (1) के तहत 100 प्रतिशत तोषण (सोलेषियम राशि)

भूमि के मूल्य के समतुल्य

1656000 /-

8.3 योग (अ ब स)

3364811 /- ✓

8.8 भूमि में सम्मिलित अस्तियों /परिसम्पत्तियों का मूल्य :-संबंधित विभाग द्वारा आंकलित मूल्य अनुसार

सम्पत्ति का प्रकार	संख्या	मूल्यांकन
टीनशेड		निरंक

नलकूप	
योग	

8.5 भूमि में सम्मिलित अस्तियों/परिसम्पत्तियों की कुल परिगणित राशि

-

8.6 भूमि में सम्मिलित अस्तियों/परिसम्पत्तियों की कुल राशि के समतुल्य तोषण/सोलेशियम राशि

-

8.7 कुल योग बिन्दु कमांक (8.5) व (8.6) परिसम्पत्तियों का मूल्य एवं तोषण सहित कुल राशि

-

8.8 कुल मुआवजा राशि (8.3 8.7)

3364811 /- ✓

8.9 कुल मुआवजा राशि पर प्रशासनिक शुल्क 2.5 प्रतिशत


84120 /- ✓


कुल अवार्ड राशि (8.8.9)

3448931 /- ✓

कुल अवार्ड राशि शब्दों में (चौतीस लाख अढतालीस हजार नौ सौ इक्तीस रूपये)

नोट:- व्यक्तिगत भूमि स्वामियों के अधिनिर्णय राशि से संबंधित पत्रक अ एवं ब प्रथक से संलग्न है। जो अधिनिर्णय का भाग है।


अनुविभागीय एवं भू अर्जन आधिकारी
अनुविभाग जिला मुरैना


कलेक्टर
जिला मुरैना

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं मू अजन अधिकारी राजस्व अनुविभाग जिला मुरैना

परिशिष्ट अ - मूनि का मूल्यांकन पत्रक

मू अजन जानकारी राजस्व वृत्त - पटवारी हक्का - ग्राम पिपरई, तहसील बामौर जिला मुरैना

क्र	मूनि स्वामी का नाम जिला का नाम जाति एवं निवासी स्थान	खत नं	कुल अक्षित रकम हेक्टर	मूनि का अक्षित रकम हे		मूनि का बाजार मूल्य भागीयता का बाजार	अक्षित मूनि का बाजार	संशोधित रकम दर 12:	कोष भाग 30(1)	योग	मूनि से चलान अस्थियां			कुल योग	भाग 27 अनुसार कुल
				निश्चित	अनिश्चित						प्रकार	युवांकन	अस्थियां पर		
1	रामसेवक रामलखन पुत्र विन्दावन संदीप नाथा पुत्र विन्दावन रामवीर मरवांसिंह पुत्रगण सोनेराम जाति गू टा पला पिपरई मुरैना मध्य प्रदेश 1/3 भाग मूनिस्वामी विन्दावन रामवीर मरवा पुत्र सोनेराम नेतराम पुत्रगण सोनेराम जाति गूटा पला पिपरई मुरैना मध्य प्रदेश 2/3 भाग मूनिस्वामी।	764	0.22	निश्चित	निरंक	2400000	528000	16838	528000	1072838	निरंक	निरंक	निरंक	0	1072838
2	गु रामदेही बेवा सोनेराम विन्दावन विजय सिंह मरवा नेतराम रामवीर पुत्र सोनेराम यशोदा रामरती लाली फूलवती पुत्री सोनेराम जाति गुजरा।	848	0.27	निश्चित	निरंक	2400000	648000	20665	648000	1316665	निरंक	निरंक	निरंक	0	1316665
3	आंतारसिंह करारसिंह पुत्रगण जपडेवासिंह सतोशीसिंह देवीसिंह पुत्रगण बदनसिंह जाति गूटा पला निवासी ग्राम समान भाग मूनिस्वामी।	870	0.12	निश्चित	निरंक	2400000	288000	9184	288000	585184	निरंक	निरंक	निरंक	0	585184
4	अशोक दिनेशचन्द्र पुत्रगण बदीप्रसाद हि बरा 1/4 जाति ब्रा नि सराधछोला वासदेवप्रसाद जगदीश प्रसाद विन्दावनलाल पुत्रगण श्रीधराम हि बरा 3/4 जाति गूटा पला निवासी ग्राम मूनिस्वामी।	1018	0.01	निश्चित	निरंक	2400000	24000	765	24000	48765	निरंक	निरंक	निरंक	0	48765
5	ओमवती पत्नी साहब सिंह जाति गुजर ठाकुर	1021	0.02	निश्चित	निरंक	2400000	48000	1531	48000	97531	निरंक	निरंक	निरंक	0	97531
6	ओमवती पत्नी साहब सिंह जाति गुजर ठाकुर	1022	0.05	निश्चित	निरंक	2400000	120000	3827	120000	243827	निरंक	निरंक	निरंक	0	243827
	योग		0.69				1656000	52811	1656030	3364811				0	3364811

कुल योग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0	3364811
प्रशासनिक शुल्क 25 प्रतिशत						84120
कुल अनाई राशी						3448931

सुनेखा सिंह
 बटवारी हक्का क्र 05
 तहसील ब जिला मुरैना (मध्य)

रु. 31.10
 रु. 31.10
 रु. 31.10
 रु. 31.10

अनुविभागीय एवं मू-अजन अधिकारी
 अनुविभाग जिला मुरैना

कलकत्ता
 जिला मुरैना

नायब कमिश्नर
 परगना - मुरैना

